

CIRCULAR

PFRDA/2022/40/ASP-EXIT/04

Dec 23, 2022

To,

All the NPS stakeholders

Subject: Partial Withdrawal for NPS Subscribers

PFRDA has issued a circular no: PFRDA/2021/3/SUP-ASP/3 dt.14.01.2021 on partial withdrawals under NPS through self-declaration for the benefit of subscribers as a special dispensation to cope with the Covid pandemic in order to protect the subscribers' interest and ease the burden of nodal officers including POPs from verification and authorization. The circular also provided for the option of submission of the partial withdrawal requests by the subscribers through their nodal office/POPs as per the prevalent practice.

2. In terms of the said circular, the online requests of the Subscribers directly processed in CRA system post Instant Bank Acct Verification through penny drop, without the need for the authorization by the associated nodal officers/POPs. It has benefited the subscribers during the Covid pandemic and immobility caused due to lock downs in various parts of the country to contain the spread of corona.

3. With the abating of the pandemic-related difficulties & relaxation of lock down restrictions, the issue examined after taking into consideration of the prevalent practices, circumstances and law, it has been decided to make it mandatory for all the Government sector subscribers (Central/ State Govt & Central/State Autonomous Bodies) *to submit their requests through their associated nodal offices.*

4. The subscribers belonging *to the voluntary segment of the NPS (All citizens and Corporate)* may continue to use the process as mentioned in the cited circular.

The above instructions shall come into effect from 01/01/2023.

Chief General Manager

परिपत्र

PFRDA/2022/40/ASP-EXIT/04

23 दिसम्बर, 2022

प्रति,
सभी एनपीएस हितधारक

विषय : एनपीएस अभिदाताओं के लिए आंशिक प्रत्याहरण

पीएफआरडीए ने कोविड महामारी से निपटने के क्रम में, अभिदाताओं के लाभ के लिए स्व-घोषणा के माध्यम से एनपीएस के तहत आंशिक प्रत्याहरण पर परिपत्र संख्या PFRDA/2021/3/SUP-ASP/3 दिनांक 14.01.2021 जारी किया है, ताकि अभिदाताओं के हित को सुरक्षित रखा जा सके और पीओपी सहित नोडल अधिकारियों पर सत्यापन एवं प्रमाणीकरण के बोझ को कम किया जा सके। परिपत्र में प्रचलित प्रथा के अनुरूप अभिदाताओं द्वारा अपने नोडल कार्यालय/पीओपी के माध्यम से आंशिक प्रत्याहरण का अनुरोध प्रस्तुत करने का विकल्प भी प्रदान किया गया है।

2. उक्त परिपत्र के अनुसार, अभिदाताओं के ऑनलाइन अनुरोधों को संबंधित नोडल अधिकारियों/पीओपी द्वारा प्राधिकृत किए बिना ही मात्र पेनी ड्रॉप के माध्यम से तत्काल बैंक खाता सत्यापन के बाद सीआरए सिस्टम में सीधे संसाधित किया जाता है। इसने कोविड महामारी और देश के विभिन्न भागों में लॉक डाउन के कारण हुई गतिहीनता के दौरान अभिदाताओं को लाभान्वित किया है।

3. महामारी से संबंधित कठिनाइयों में कमी और लॉकडाउन प्रतिबंधों में छूट मिलने के बाद, प्रचलित प्रथाओं, परिस्थितियों और कानून को ध्यान में रखते हुए उक्त मुद्दे की समीक्षा की गयी तथा सभी सरकारी क्षेत्र के अभिदाताओं (केंद्र / राज्य सरकार और केंद्र / राज्य स्वायत्त निकायों) हेतु संबंधित नोडल कार्यालयों के माध्यम से उनका अनुरोध प्रस्तुत करना अनिवार्य बनाए जाने का निर्णय लिया गया है।

4. एनपीएस स्वैच्छिक क्षेत्र (सर्व नागरिक और कॉर्पोरेट) से सम्बंधित अभिदाता उक्त परिपत्र में वर्णित प्रक्रिया का उपयोग जारी रख सकते हैं।

उपर्युक्त निर्देश दिनांक 01.01.2023 से लागू होंगे।

मुख्य महाप्रबन्धक